रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 95] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 26, 1983/फाल्गुन 7, 1904
No. 95] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 26, 1983/PHALGUNA 7, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1983

का. आ. 147(अ).—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन प्रयोक्तव्य कृत्यों को, जहां तक ऐसे कृत्यों का सम्बन्ध न्यूनतम मजदूरी पर नियतन और क्रमशः बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, केरल, मद्रास, नागालैण्ड, हरियाणा, मैसूर, राजस्थान, असम, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात में स्थित किसी खदान में पत्थर तोड़ने या पत्थर दलने में नियोजित कर्मचारियों के लिए इस प्रकार नियत की गई न्यूनतम दरों के पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण से है, जिन्हें ऊपर नामित राज्यों की सरकारों को संविधान के अनुच्छेद 258 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के तारीख 30 नवम्बर, 1968 को राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का. आ. 4266, तारीख 25 नवम्बर, 1968 द्वारा यह कृत्य सौंपे गए थे, वापस लेते हैं ।

[सं. एस-32019/26/82-डब्ल्यू. सी. (एम. डब्ल्यू.)]
एम. एल. मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 1983

S.O. 147(E).—The President is hereby pleased to withdraw the functions exercisable by the Central Government under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), in so far as such functions relate to the fixation of minimum rates of wages and the review and revision of minimum rates so fixed, for employees employed in stone breaking or stone crushing operations carried on in any quarry situated within the respective States of Bihar, Maharashtra, West Bengal, Punjab, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Orissa, Kerala, Madras, Nagaland, Haryana, Mysore, Rajasthan, Assam, Andhra Pradesh and Gujarat, entrusted to the Government of the States named above, in exercise of powers conferred by clause (1) of the Article 258 of the Constitution under Notification bearing S.O. 4296 dated November 25, 1968 published in the Gazette of India, Part II, Section 3(ii), dated the 30th November, 1968.

[No. S-32019/26/82-W.C.(M.W.)]
M. L. MEHTA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983